

अत्यावश्यक/छात्र संघ चुनाव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2017/526

दिनांक: 21 अगस्त, 2017

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017 के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि जिन कक्षाओं का विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है उन विद्यार्थियों को एकबारीय प्रवेश प्रक्रिया के नियमानुसार मतदाता सूची में शामिल करें।

छात्र संघ चुनाव 2017 में छात्र संघ पदाधिकारी का चुनाव लड़ने के इच्छुक विद्यार्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लिया जाये कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् यदि कोई निर्वाचित पदाधिकारी परीक्षा परिणाम के कारण लिंगदोह समिति के अनुसार निर्वाचन की योग्यता पूर्ण नहीं करता है तो उसका निर्वाचन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। छात्रसंघ चुनाव 2017 में लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं का आवश्यक रूप से पालन करें।

(अशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट सहायक सचिव,
उच्च शिक्षा राज0 जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2017/526

दिनांक: 21 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संयुक्त-सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

a. utadh

(डॉ. बन्दना चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक (अकादमी)